

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.
दायर दिनांक 06.02.2023

प्रकरण सं0 13/2023

उनवान

1. ज्ञान सागर पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारां।

वादी

बनाम

1. चंदमल पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी कुंजैड
2. कैलाशचन्द पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी कुंजैड
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अटरू
4. रूपेश कुमार पुत्र कैलाशचन्द जाति महाजन निवासी कुंजैड तहसील अटरू
5. नवीन कुमार पुत्र कैलाशचन्द जाति महाजन निवासी कुंजैड तहसील अटरू

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88, 89, 91, 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :-

प्रतिवादीगण/अपीलांटस- विद्वान अभिभाषक श्री अमीनुद्दीन

निर्णय

दिनांक 29/03/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्षकारान उपस्थित। पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 12.01.2023 की पालना में पुनः दर्ज किया गया। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी/अपीलार्थी ने मूल दावा प्रकरण संख्या 15/2002 अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू में पेश किया था, जिसमें ग्राम कुंजैड की विवादित आराजी ख0नं0 301 की 0.51 है0, 303 की 0.13 है0, 624 की 1.33 है0, 625 की 2.33 है0, 637 की 1.27 है0, 639 की 0.10 है0, 640 की 0.03 है0, 641 की 0.03 है0, 642 की 3.38 है0, 665 की 1.34 है0 कुल कित्ता 10 रकबा 10.45 है0 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के निर्णय दिनांक 20.12.2007 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से अनुसार- वादी का हिस्सा 11/18, प्रतिवादी क्रम 1 चांदमल का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी क्रम 2 केलाशचन्द का हिस्सा 1/9 व

प्रतिवादी क्रम 5 व 5 रूपेश व नवीन का हिस्सा 1/6 को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के निर्णय दिनांक 20.12.2007 की प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील दायर की गई जिसे न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.06.2008 से स्वीकार की जाकर निम्नानुसार हिस्से – अपीलांट नं0 2 व 3 का 5/6 बहिस्सा बराबर, अपीलांट नं0 1 का 1/18 , अपीलांट नं0 4 का 1/18 तथा रेस्पोंडेंट नं0 1 का 1/18 घोषित कर प्राथमिक डिक्री पारित कर इस न्यायालय को अंतिम डिक्री पारित करने हेतु आदेशित किया गया था।

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2008 की रेस्पोंडेंट क्रम 1/वादी द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील दायर की गई जिसे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.01.2023 से खारिज करते हुए न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2008 को यथावत रखा गया है।

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 30.06.2008 की अनुपालना में तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया जिसकी पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/559 दिनांक 09.03.2023 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश किया गया जिससे अभिभाषक प्रतिवादीगण/अपीलांट क्रम 1 ता 3 सहमत है। बावजूद सूचना वादी/रेस्पोंडेन्ट ज्ञानसागर एवं प्रतिवादी/अपीलांट क्रम 4 चांदमल अनुपस्थित रहे।

अतः न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 30.06.2008 के आधार पर तहसीलदार अटरू द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी ग्राम कुंजेड ख0नं0 301 की 0.51 है0, 303 की 0.13 है0, 624 की 1.33 है0, 625 की 2.33 है0, 637 की 1.27 है0, 639 की 0.10 है0, 640 की 0.03 है0, 641 की 0.03 है0, 642 की 3.38 है0, 665 की 1.34 है0 कुल कित्ता 10 रकबा 10.45 है0 का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:—

- I. रूपेश कुमार पुत्र केलाशचन्द जाति महाजन सा. बारां हिस्सा 1/2, नवीन कुमार पुत्र केलाशचन्द जाति महाजन सा. बारां हिस्सा 1/2 के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
89	301	0.51 है0	बारानी-2	3.57
	303	0.13 है0	बारानी-2	0.91
	624	1.33 है0	माल-2	13.30
	625	2.33 है0	माल-2	23.30
	637	1.27 है0	बारानी-1	11.43
	639	0.10 है0	माल-2	1.00
	640	0.03 है0	माल-2	0.30
	641	0.03 है0	गै0मु0चाह	—
	642	1.64 है0	माल-2	16.4
	665	1.34 है0	माल-2	13.40
	कुल किता 10	8.71 है0	—	83.61

- II. केलाश पुत्र भंवरलाल जाति महाजन सा-बारां के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी रहन एचडीएफसी बैंक शाखा बारां:-

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
89	642 / 1	0.58 है0	माल-2	5.80
	कुल किता 1	0.58 है0	—	5.80

- III. ज्ञान सागर पुत्र भंवरलाल जाति महाजन सा. हरनावदा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी :-

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
89	642 / 2	0.58 है0	माल-2	5.80
	कुल किता 1	0.58 है0	—	5.80

IV. चान्दमल पुत्र भवरलाल जाति महाजन सा. हरनावदा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी रहन एचडीएफसी बैंक शाखा बारां :-

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
89	642 / 3	0.58 है0	माल-2	5.80
	कुल किता 1	0.58 है0	-	5.80

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 13/2023

दायर दिनांक 06.02.2023

उनवान

1. ज्ञान सागर पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारां।

वादी

बनाम

1. चंदमल पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी कुंजैड
2. कैलाशचन्द पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी कुंजैड
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अटरू
4. रूपेश कुमार पुत्र कैलाशचन्द जाति महाजन निवासी कुंजैड तहसील अटरू
5. नवीन कुमार पुत्र कैलाशचन्द जाति महाजन निवासी कुंजैड तहसील अटरू

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88, 89, 91, 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :-

प्रतिवादीगण/अपीलांटस- विद्वान अभिभाषक श्री अमीनुद्दीन

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कुंजैड ख0नं0 301 की 0.51 है0, 303 की 0.13 है0, 624 की 1.33 है0, 625 की 2.33 है0, 637 की 1.27 है0, 639 की 0.10 है0, 640 की 0.03 है0, 641 की 0.03 है0, 642 की 3.38 है0, 665 की 1.34 है0 कुल कित्ता 10 रकबा 10.45 है0 का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

- I. रूपेश कुमार पुत्र कैलाशचन्द जाति महाजन सा. बारां हिस्सा 1/2, नवीन कुमार पुत्र कैलाशचन्द जाति महाजन सा. बारां हिस्सा 1/2 के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
89	301	0.51 है0	बारानी-2	3.57
	303	0.13 है0	बारानी-2	0.91
	624	1.33 है0	माल-2	13.30
	625	2.33 है0	माल-2	23.30
	637	1.27 है0	बारानी-1	11.43
	639	0.10 है0	माल-2	1.00
	640	0.03 है0	माल-2	0.30
	641	0.03 है0	गै0मु0चाह	-
	642	1.64 है0	माल-2	16.4
	665	1.34 है0	माल-2	13.40
	कुल कित्ता 10	8.71 है0	-	83.61

- II. केलाश पुत्र भंवरलाल जाति महाजन सा-बारां के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी रहन एचडीएफसी बैंक शाखा बारां:-

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
89	642 / 1	0.58 है0	माल-2	5.80
	कुल किता 1	0.58 है0	-	5.80

- III. ज्ञान सागर पुत्र भंवरलाल जाति महाजन सा. हरनावदा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी :-

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
89	642 / 2	0.58 है0	माल-2	5.80
	कुल किता 1	0.58 है0	-	5.80

- IV. चान्दमल पुत्र भवरलाल जाति महाजन सा. हरनावदा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी रहन एचडीएफसी बैंक शाखा बारां :-

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
89	642 / 3	0.58 है0	माल-2	5.80
	कुल किता 1	0.58 है0	-	5.80

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....

.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 29.03.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)